

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
प्रथम तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: 2(6376)/डीओआईटी/संस्था/14 / 7/24450/2014 जयपुर, दिनांक 10/10/2014

सूचना

वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक 12(6) FD/ Rules/ 2005 दिनांक 23.09.2014 के अनुसरण में इस विभाग के ऐसे एनालिस्ट कम प्रोग्रामर्स (उप निदेशक), जिनकी परीक्षा अवधि 1 वर्ष पूर्ण हो रही है, को एवं उनके पदस्थापन कार्यालयों/विभागों को सूचित किया जाता है कि इन एनालिस्ट कम प्रोग्रामर्स (उप निदेशक) के 1 वर्ष का परीक्षा काल पूर्ण करने की दशा में परीक्षाकाल के सफलता पूर्वक एवं संतोषप्रद पूर्ण करने बाबत सूचना संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-1) में प्रेषित करें, जिससे उनके वेतन नियमितिकरण के प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जा सके।


(जयसिंह)
प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद पर एक वर्ष का परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान स्वीकृति बाबत वांछित सूचना -

1.	नाम अधिकारी	
2.	मेरिट नम्बर	
3.	जन्म तिथि	
4.	पिता का नाम	
5.	पद नाम	
6.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद पर नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक	
7.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद पर कार्यग्रहण तिथि	
8.	वर्तमान पदस्थापन स्थान	
9.	एक वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	

10. परिवीक्षा काल में लिये गये असाधारण अवकाश का विवरण

क्रं.सं.	असाधारण अवकाश का विवरण		कुल दिवस	अवकाश स्वीकृतिकर्ता अधिकारी	अवकाश स्वीकृति आदेश क्रमांक / दिनांक
	कब से	कब तक			
कुल योग					

हस्ताक्षर

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद पर दिनांक.....से कार्यरत हैं। उपरोक्त विवरण का सत्यापन अधिकारी की सेवा पुस्तिका से कर लिया गया है। श्रीएनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में कुलदिवस का असाधारण अवकाश लिया गया है।

श्री एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में की गई सेवायें एवं कार्य व्यवहार संतोषप्रद हैं एवं इनके विरुद्ध कोई जांच लम्बित एवं प्रस्तावित नहीं है। अतः परिवीक्षा प्रशिक्षण काल सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान स्वीकृति किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

दिनांक

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष
मय मोहर